




बदलता झारखण्ड

विकास की ओर उन्मुख झारखण्ड



रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखण्ड



रघुवर सरकार के 1000 दिन आपके नाम

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार, रौची

मुख्यमंत्री जन-वन योजना



माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वन विभाग ने वर्ष 2016 में एक नई योजना, मुख्यमंत्री जन-वन आरंभ की है। इस योजना के उद्देश्य राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना एवं वनों पर दबाव कम करना है। इस योजना में वृक्षारोपण की कुल लागत का 50 प्रतिशत अंश लाभान्वित को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर लगभग 3.29 लाख पौधे लगाए गए एवं लाभान्वितों को लगभग 82.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया गया।

वृहत वनरोपण



राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से वन महोत्सव को जन आंदोलन का रूप दिया है। वन महोत्सव की लगभग एक माह की अवधि में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है, जिसमें महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष, विधानसभा, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016 में इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.57 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे तथा इस वर्ष 2017 में 2.66 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य के 33 प्रतिशत भू-भाग को वनों से अच्छादित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है एवं पिछले 1000 दिनों में झारखण्ड राज्य में 8,56,09569 वृक्ष लगाए गए हैं।

वनरक्षियों की नियुक्ति



वन विभाग में गत 30 वर्षों से वनरक्षियों के पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में वन विभाग ने सभी प्रशासनिक अङ्गचर्चनों को दूर कर 2188 वनरक्षियों की नियुक्ति की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि नव नियुक्त वनरक्षियों में 148 महिलाएँ शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा जुलाई, 2017 में 141 नव नियुक्त वनरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिये गये। सभी जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

राज्य के जैविक उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणी - उत्कृष्टता की ओर




विरसा जैविक उद्यान, ओरमाँझी को मध्यम श्रेणी से वृहत श्रेणी में मान्यता दी गई है। इस उद्यान के प्रागंण के अन्दर 36000 वर्ग फीट में देश के सबसे बड़े Aquarium का निर्माण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा 28 जून 2017 को उद्घाटन कर इस मछली घर को आम जनता को समर्पित किया गया। इस उद्यान में वन्य प्राणियों की 83 प्रजातियों के कुल 1288 वन्यजीव हैं तथा इसको देखने के लिए हर वर्ष लगभग सात लाख लोग आते हैं। दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी राज्य की सबसे बड़ी आश्रयणी है। इसको भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा अच्छा स्तर में रखा गया है एवं देश की सभी आश्रयणियों में इसका स्थान 20वाँ है।

शहरी वनों एवं पार्कों का सृजन



आम नागरिकों को स्वच्छ, स्वास्थ्यकारक एवं आरामदेह वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सौंदर्यकारक प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न थीम पर पार्कों का विकास एवं संपोषण कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से मोरहाबादी में अवस्थित 11 एकड़ भू-खण्ड में 4.96 करोड़ की राशि से निलाम्बर-पिताम्बर (ऑक्सीजन) पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा मार्च, 2017 में किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में घोड़ाबंधा थीम पार्क, पारडीह-1, पारडीह-2, पृथ्वी पर्यावरण पार्क एवं छोटा गोविन्दपुर पार्क तथा आदित्यपुर में जेठोपीठ उद्यान, दिन्डली, आसंगी, जमालपुर, गुटुबेड़ा एवं कांड्रा में उद्यानों का निर्माण किया गया है।

वन तथा वन्यप्राणी प्रबंधन आदि के लिए संस्थागत ढाँचे को मजबूती



झारखण्ड राज्य की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता पर्षद का गठन किया गया है। पर्षद राज्य में पाई जाने वाली जैव-सम्पदा की पंजी तैयार कर उसके संरक्षण की रूप रेखा बनाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में छोटे मनोरंजन उद्यान तथा जैव विविधता संरक्षण उद्यान के निर्माण एवं रख रखाव हेतु उद्यान समिति का गठन किया गया है, जिसे झार-पार्क के नाम से जाना जाता है। ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको-टूरिज्म नीति-2015 बनाई गई है जिसके अन्तर्गत एक Eco Tourism Authority का गठन किया गया है।

नई केन्द्रपत्ता की नियुक्ति




राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में नयी केन्द्र पत्ता नीति लागू हुई। इस नीति से संग्रहकों के हितों को ध्यान में रखा गया है एवं उनको देय मजदूरी एवं प्रोत्साहन राशि को बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। इस नीति के लागू होने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016–17 में संग्रहकों को कुल–60.24 करोड़ राशि का भुगतान हुआ जो वर्ष 2015–16 से 88 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार 2017–18 में संग्रहकों को कुल–82 करोड़ राशि भुगतान किया जा रहा है जो कि एक Record है।

Ease of doing business



झारखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने लकड़ी के परिवहन के लिए Online Transit Permit आवेदन की व्यवस्था की है। साथ ही लकड़ी की 19 प्रजातियों के लिए Transit Permit की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, जिसमें बाँस भी शामिल है। सरकार के इस कदम से राज्य के नागरिकों को निजी आवश्यकता के लिए लकड़ी परिवहन करने में आसानी होगी एवं बाँस आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने CTE एवं CTO हेतु Online आवेदन की व्यवस्था को लागू की गयी है। साथ ही CTE और CTO प्रदान करने के लिए पर्षद द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गयी हैं।



वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार, रोॅची

मॉफ़ :-

अपर मुख्य सचिव	:	0651-2491669
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	:	0651-2481909
विशेष सचिव	:	0651-2491098
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास	:	0651-2481813

Website : www森林.jharkhand.gov.in